न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./17/2023

1. संतोक पत्नी छगना जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. मोती पुत्र हजारी जाति भाट निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
2. प्रभु पुत्र लादू जाति भाट निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. महावीर पुत्र धर्मा जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. अमरी पत्नी मोहन जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. लाली पत्नी नानू जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. बदामी पत्नी नाथू जाति रावत निवासी खेड़ी तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–12.07.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री धर्मवीर बामनियां
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा खेड़ी पटवार क्षेत्र खेड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 267 में दर्ज खसरा नं. 1029 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 1029/2029 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 1032 रकबा 0.20, खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 1052 रकबा .025, खसरा नम्बर 2224/777 रकबा 0.06 और खसरा नम्बर 785 रकबा 0.08 कुल किता 07 कुल रकबा 1.32 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 06 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 07 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 06 की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री धर्मवीर बामनिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 का नाम पत्रावाली से विलोपित करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 01 का नाम पत्रावाली से विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

...त तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम खेड़ी के खाता संख्या 267 संवत 2072–2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा खेड़ी पटवार क्षेत्र खेड़ी भू0अ0नि0 क्षेत्र छछुन्दरा के खाता सं0 267 में दर्ज खसरा नं. 1029 रकबा 0.22, खसरा नम्बर 1029/2029 रकबा 0.41, खसरा नम्बर 1032 रकबा 0.20, खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.10, खसरा नम्बर 1052 रकबा .025, खसरा नम्बर 2224/777 रकबा 0.06 और खसरा नम्बर 785 रकबा 0.08 कुल किता 07 कुल रकबा 1.32 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 500/– रू(पांच सौ रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)
सत्यमेव जयते

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)